97

न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय कैम्प विदिशा भोपाल

प्र. क्रं. /ए/2013
निगरानी 1443-I-15

छोटेलाल पुत्र रामचन्द्र जाति प्रजापति
निवासी मानोरा तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा ---------अपीलांट

बनाम

1. मुन्नालाल पुत्र श्री दलीपसिंह
प्रजापति निवासी मानोरा
2. ग्राम पंचायात मानोरा तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा--रिस्पो. गण.

अपील धारा 44 म.प्र.भू.रा. संहिता न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय ग्यारसपुर मुन्नालाल विरूद्ध ग्राम पंचायात मानोरा प्र.क्रं. 202/पी.121/2012-13 आदेश दिनांक 30.1.13 के विरूद्ध ।

357-R II
IA एवं के. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दि० 14/5/13 को प्रस्तुत।

14/5/13
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :-

1- यह कि अपीलांट ने ग्राम पंचायात मे एक आवेदन पेश किया की रिस्पो. क्रमांक 1 ने ग्राम मानोरा मे सार्वजनिक छेडी (गली) जो जगदीश मंदिर के रास्ते की मुख्य सडक से लगी हुई है वो अपीलांट एवं रिस्पोडेन्ड के मकानो के बीच मे है जिसकी लम्बाई 22 फुट एवं चोडाई 3 फिट है उसे रिस्पोडेन्ड ने बंद कर दिया था जिससे अपीलांट के मकान मे सीलन होने लगी थी उसे खुलवाने ग्राम पंचायात मे आवेदन लगाया ग्राम पंचायात ने रिस्पोडेन्ड क्रं. 1 को नोटिस जारी किया एवं कहा कि उस छेडी के कोई अभिलेख तुम्हारे पास हो तो उसे पेश करो किंतु अभिलेख पेश नही किये गये तब पंचायात ने दो पंचो के समिति गठित की मौका आयना करने हेतु जांच उपरांत पंचायात ने रिस्पो० का अतिक्रमण हटाकर छेडी खुलवा दी ।

सक्षम न्यायालय में प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु 13/5/15

(एन.पी. ...)
अपर आयुक्त
भोपाल संभाग भोपाल
22/5/15

2- यह कि रिस्पोडेन्ड का अतिक्रमण हटने पर रिस्पोडेन्ट ने आदेश दिनांक 23.12.10 के आदेश को माननीय उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील कर दी अपील दो वर्ष इकत्तीस दिन विलंब से पेश की उक्त अपील मे रिस्पोडेन्ट ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाया और ग्राम पंचायात के विरूद्ध अपील पेश कर दी इस तरह अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो का असंयोजन होने एवं अवधि बाह्य अपील होने बगैर नोटिस इश्तहार आवश्यक पक्षकार को छोडकर पेश अपील को

4-6-15

आवक 2/6/15

छोटेलाल

.2.

भोपाल
पेशी 2-6-15

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R 1443–एक / 15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर जिला विदिशा द्वारा प्र0क0 202 / बी–121 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 31.1.13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक एक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनावेदक तथा ग्राम पंचायत, मनोरा को सुनने के उपरांत तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण के उपरांत यह पाया है कि विवादित भूमि कभी सार्वजनिक छेड़ी नहीं रही है और उस जगह में से अनावेदक (ग्राम पंचायत) का आना जाना भी नहीं है । उक्त आधार पर उन्होंने ग्राम पंचायत के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत विचार कर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का विचारण न्यायालय में अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । 3/ परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	